न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/66

1. राजेश बाई विधवा पत्नी रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. बृजेश कुमार पिता रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
2. दिनेश कुमार पिता रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद, जिला कोटा ।
3. धनराज बाई पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद, जिला कोटा(राज0)।
4. कमलेश बाई पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद, जिला कोटा(राज0)।
5. मीना उर्फ मंजू यादव पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
6. संजू बाई उर्फ गुडडी पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस– (1). श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से ।
(2). श्री ओमप्रकाश नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 16.01.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2005 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 53 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा उम्मेदपुरा तहसील दीगोद की साबिक आराजी संख्या 279 रकबा 5 बीघा, आराजी संख्या 284 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 292 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 298 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 309 रकबा 12 बीघा, आराजी संख्या 313 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा, आराजी संख्या 459 रकबा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 441 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 426 रकबा 18 बिस्वा जिसकी हाल आराजी संख्या 115 रकबा 0.59 हैक्टेयर, आराजी संख्या 121 रकबा 1.48 हैक्टेयर, आराजी संख्या 129 रकबा 2.38 हैक्टेयर, आराजी संख्या 139 रकबा 2.13 हैक्टेयर, आराजी संख्या 147 रकबा 1.82 हैक्टेयर, आराजी संख्या 152 रकबा 1.73 हैक्टेयर, आराजी संख्या 213 रकबा 0.18 हैक्टेयर, आराजी संख्या 278 रकबा 0.22 हैक्टेयर, आराजी संख्या 296 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 10.72 हैक्टेयर बने है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के दादा लक्ष्मीनारायण से वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के पिता रामस्वरूप व वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की दादी रामकंवरी की खातेदारी मे दर्ज हुई। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की दादी का निधन हो चुका है। वर्तमान के उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 व उनके पिता प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हक हिस्सा निहित है। तदनुसार वादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 उक्त आराजीयात का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित पैतृक कृषि आराजीयात का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के की खातेदारी मे 1/7, 1/7 हिस्सा विभाजन से पृथक किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 को बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होना बताकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदे । प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की एकतरफा साक्ष्य ली जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की बहस एकतरफा सुनी गई। दिनांक 28.12.2005 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की ।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 28.12.2005 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सख्या 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

6. अपीलांट की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण द्वारा केवल अपने पिता रामस्वरूप को ही प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार कायम किया है । रामस्वरूप के चार पुत्रियां रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 6 एवं पत्नी स्वयं अपीलांट है, जो प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्याायालय मे उनको पक्षकार कायम नहीं किया गया है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्ध जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन कर चारों पुत्रियों रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 7 प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया है । रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 7 जो कि खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप की पुत्रियां है जिन्हे पक्षकार बनाये बगैर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र मे प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की है जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पैतृक सम्पत्ति होने से उक्त आराजीयात मे रामस्वरूप के सभी वारिसान का बराबर बराबर हक हिस्सा निहित है। परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी मे केवल रामस्वरूप व रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण का ही हक हिस्सा दर्ज किया गया है। अपीलांट के पति स्वर्गीय रामस्वरूप अपने जीवनकाल तक अपीलांट के साथ उनके हिस्से पर काबिज रहा है । तथा उसकी मृत्यु के पश्चात स्वयं अपीलांट उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रही है। अपीलांट विवादित आराजीयात के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप की पत्नी व रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 6 की माता होने से विवादित आराजीयात मे अपीलांट का भी हक हिस्सा निहित है। अपीलांट स्वयं के निहित हिस्से को खातेदारी मे दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट आवश्यक पक्षकार होने से अपीलांट को पक्षकार कायम किये बिना ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 28.12.2005 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

8. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 6 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 6 के पिता व अपीलांट के पति प्रतिवादी संख्या 1

रामस्वरूप की पैतृक सम्पत्ति है। उक्त आराजीयात रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 6 के पिता व अपीलांट के पति रामस्वरूप को विरासत से प्राप्त हुई है। वर्तमान में रामस्वरूप की मृत्यु हो चुकी है। जिससे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात में रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 6 व अपीलांट सभी का बराबर बराबर हक हिस्सा निहित है। साथ ही रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 6 ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि अपीलांट हमारी माता है । दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपील को प्रतिग्रहित किये जाने की बाबत कथन में सहमति जाहिर की।

9. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय द्वारा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। जहां तक अपील के मियाद के बिन्दु का प्रश्न है, अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम में यह कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण व उसके संबंध में पारित निर्णय व डिक्री के बारे में वादीगण व अपीलांट के पति ने अपीलांट को कभी किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दी। साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय व डिक्री के बारे बताये जाने एवं रेस्पोंडेन्टगण द्वारा दिनांक 24.11.2021 को विवादित आराजीयात को स्वयं के नाम दर्ज कराने की कहने पर अपीलांट को प्रकरण की जानकारी प्राप्त हुई। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने भी उक्त अपील स्वीकार करने में मियाद के बिन्दु पर कोई आपत्ति नहीं की । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा व बंटवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । पत्रावली में दिनांक 28.07.2005 का प्रतिवादी संख्या 01 रामस्वरूप का स्वीकारात्मक जवाब संलग्न है । तत्पश्चात वादीगण की एकतरफा साक्ष्य लिवायी जाकर एवं वादीगण की एकतरफा बहस सुनी जाकर उक्त आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। साथ ही रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित पारिवारिक सजरे में रेस्पोंडेन्टगण संख्या 3 से 6 का उल्लेख खातेदार रामस्वरूप की पुत्रियों के रूप में किया जाना अंकित किया है । अपीलांट जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी व रेस्पोंडेन्टगण की माता है जो कि वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए अपने पति के जीवनकाल में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में पक्षकार नहीं थी। वाद प्रस्तुत करते समय तथा वाद में अंतिम डिक्री जारी होने की दिनांक को अपीलान्ट के पति जीवित थे । वर्तमान में अपीलांट के पति प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने का कथन किया है । हस्तगत अपील गंभीर रूप से विलम्ब से पेश की गई है । प्रस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा केवल प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2005 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में दिनांक 20.02.2006 को अंतिम डिक्री भी पारित हो चुकी है । अंतिम डिक्री में रामस्वरूप की पुत्रियों के भी पक्ष में अंकित डिक्री जारी की गई है । अपीलान्ट ने अपील के साथ ऐसी कोई अद्यतन जमाबन्दी भी प्रस्तुत नहीं की है, जिससे स्पष्ट हो सके कि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि किस के खाते में दर्ज है । अपीलान्ट ने अपनी अपील एवं बहस में यह कहीं कथन नहीं किया कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 20.02.2006 को अंतिम डिक्री भी जारी हो चुकी है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने भी दौराने बहस

अंतिम डिक्री जारी होने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया । अपीलान्ट ने उक्त तथ्य क्यों प्रकट नहीं किया ? अपील मीमो के साथ भी केवल प्राथमिक डिक्री का निर्णय संलग्न किया है । मौखिक बहस में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने श्री रामस्वरूप की मृत्यु सन् 2020 में होने का कथन किया है हालांकि ऐसा कोई दस्तावेज हमारे समक्ष नहीं है । अपीलान्ट ने अपील मीमो में भी यह अंकित नहीं किया है कि रामस्वरूप की मृत्यु किस दिनांक को हुई । प्रस्तुत वाद का अंतिम निर्णय वादी के पिता एवं अपीलान्ट के पति के जीवनकाल में ही हो गया था तथा रामस्वरूप को निर्णय में विवादित भूमि में से हिस्सा दे दिया गया था । प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2005 के विरूद्ध अपील दिनांक 04.01.2022 को की गई है । यह अपील लगभग 16 वर्ष से अधिक समय बाद प्रस्तुत की गई है । इतनी देरी से अपील करने का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है । प्रकरण में अंतिम डिक्री भी दिनांक 20.02.2006 में ही हो चुकी है । अतः अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है तथा प्रकरण में अंतिम डिक्री दिनांक 20.02.2006 की कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं की गई है । यदि अपीलान्ट अपना हक, स्वत्व निर्धारण करवाना चाहती है तो वह विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है ।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2005 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2022/66

(1). राजेश बाई विधवा पत्नी रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

(1). बृजेश कुमार पिता रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
(2). दिनेश कुमार पिता रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
(3). धनराज बाई पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
(4). कमलेश बाई पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
(5). मीना उर्फ मंजू यादव पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
(6). संजू बाई उर्फ गुडडी पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
(7). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2005 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा ।

वाद संख्याः 76/2005

1. बृजेश कुमार आ0 रामस्वरूप
2. दिनेश कुमार आ0 रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद

——वादी

बनाम

1. रामस्वरूप आ0 स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद

—प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2005 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 16.01.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री बलराम शर्मा, एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 06 की ओर से श्री ओमप्रकाश नागर, अभिभाषक, उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2005 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एंवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा